न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/ 4695 दिनांक – 07/12/22

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 पोलाराम 2 भूराराम 3 बाबूलाल पिसरान सुखराम 4 पेमी पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी जटियों कुम्हारों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।		1 राऊराम पुत्र लाखाराम जाति कुम्हार 2 जीयारम 3 राजूराम 4 रामाराम पिसरान फूसाराम जाति मेघवाल 5 आमदखां 6 आरबखां पिसरान बरियाम खां 7 रोजेखां पुत्र फजलाखां 8 फतेखां पुत्र रोजे खां 9 दीना खां पुत्र फजलाखां जाति मुसलमान निवासी जटियों कुम्हारों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक–

राजस्व आवेदन संख्या :– 199/2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 266/56 रकबा 59.19 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर
दिनांक 07/12/22

क्रमांक :– रीडर/2022/ 4696-99

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पोलाराम पुत्र सुखराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी जटियों कुम्हारों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी राऊराम पुत्र लाखाराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी जटियों कुम्हारों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है:–

पोलाराम बाबूलाल